कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह

पृष्ठां. क्र.1864/एक–2–1/83 दमोह, दिनांक 24/05/2025

प्रतिलिपि :–

समस्त न्यायालय दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह की ओर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पृष्ठाकंन पत्र क्र. सी/4043/तीन–6–3/2018 जबलपुर दिनांक 23.05.2025 का मय मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 22.05.2025 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी
सांख्यिकीय अनुभाग
दमोह म.प्र.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/6048
III-6-3/2018

Jabalpur, dated .23/05/2025

Copy of the notification of the Government of M.P. F. No. 2195/21-B(1)/2025 dated 22.05.2025 in respect of date of enforcement of Notification regarding appointment of Shri Devesh Upadhyay, III District & Additional Sessions Judge Gwalior as Special Judge MPs/MLAs, as per the provisions of different enactments mentioned therein, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, All in the State for information and necessary action. The Principal District and Sessions Judge; Gwalior for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

MUKESH RAWAT
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22/05/2025

फा.क्रमांक 2195/21–ब (एक)/2025 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर,2017 के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप–धारा (1) के उपबंधो के अनुसार, मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (1–ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (कमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात्:–

सारणी

अनु. क्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री देवेश उपाध्याय, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

NOTIFICATION

F.N0.2195-XXI-B(1)/2025- In compliance of the order passed on 14th December, 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus

2....

Union of India and Anothers as per the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), as per the provisions of sub –section (1) and sub-section (1-A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and as per the provisions of sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court(s) of Additional Sessions Judge(s) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act 1988 (49 of 1988), the Mdhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3) and having jurisdiction for the area compromising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Special Court	Place of Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Shri Devesh Upadhyay, III[rd] District and Additional Sessions Judge, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Guna, Ashoknagar, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Shivpuri.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 क्र0 2195/21-ब(एक) /2025, भोपाल,दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/1857/III-6-3/2018 दिनांक 01.03.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

21.5.25

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग